<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 13 / 2023 (बांसवाड़ा डिक्री)</u>

1. श्रीमती कमला पत्नी मानजी, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. राजेंग मानजी, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हालु मानजी, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. देवीलाल पिता राजेंग, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. नटवर पिता हालु, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. सुश्री शिल्पा पिता हालु, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. सुश्री किरपा पिता हालु, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. दिलीप पिता हालु, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. धरमा पिता चोखा, जाति भील, निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
19.09.2022 प्रकरण संख्या 11 / 2015

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री मोहम्मद युसुफ [illegible] अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30—09—2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 42 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम टाडी महुडी में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी विवादित आराजियात पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर उतारू हैं एवं वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त काउण्टर क्लेम का जवाबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19—09—2022 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28—04—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद युसुफ खां उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10—11—2022 को होने पर नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिनांक 15—11—2022 को हुई। अपीलान्टगण ग्रामीण, अशिक्षित एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से कानून का ज्ञान नहीं था। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—09—2022 के विरुद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील

दिनांक 28—04—2023 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 18—11—2022 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 10—11—2022 को एवं नकल दिनांक 15—11—2022 उन्हें प्राप्त हो गयी थी फिर भी अपील इस न्यायालय में दिनांक 28—04—2023 को प्रस्तुत की गई है अर्थात जानकारी दिनांक से भी करीब 5 माह से भी अधिक विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि मूल पुरूष चोखा जी होकर उनके दो पुत्र धरमा व मानजी थे। मानजी के वारिस अपीलान्टगण होकर उसका विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा अपने पिता मानजी के समय से चला आ रहा है, जो मौका पर्चा दिनांक 21—05—2015 से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जेयाबी का वाद लाये वादी/रेस्पोन्डेन्ट का दावा चलने योग्य ही नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में चाहा गया उन्हें अनुतोष दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित आराजी का एक मात्र मालिक स्वामी व आधिपत्यधारी रेस्पोन्डेन्ट/वादी धरमा है, जिससे अपीलान्टगण को कोई संबंध नहीं है, न ही उनका कभी विवादित आराजी पर कब्जा रहा है। वादी रेकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 42 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी/रेस्पोन्डेन्ट धरमा के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी उक्त आराजी पर मक्की, गेहॅू व कपास की फसल वादी धरमा द्वारा बोया जाना अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी/अपीलान्टगण मौका पर्चा दिनांक 21–05–2015 को आधार बनाकर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा होने का कथन करते हैं, किन्तु उक्त पर्चा मौका रेस्पोन्डेन्ट/वादी की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा राजस्व रेकार्ड के मुकाबले पर्चा मौके का कोई महत्व नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट/वादी रेकार्डेड खातेदार है, ऐसी स्थिति में यदि उसके कब्जे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यों का विधिवत अवलोकन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19–09–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती कमला पत्नी मानजी , जाति भील, निवासी टाडा महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**धरमा पिता चोखा, जाति भील, निवासी टाडा महुडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**13 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**09**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**09**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री तसलीम अहमद**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मोहम्मद युसुफ खां**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19–09–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**09**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर सर्टीफिकेट का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested